न्यायालयपंचम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर अधिनियम),
लखीमपुर–खीरी।
दाण्डिक वाद संख्याः 16/2008
सरकार बनाम सुरेन्द्र
मु0अप0सं0–333/2007
धारा–2/3 यू0पी0गैगेस्टर एक्ट
थाना फरधान , जिला–खीरी

आरोप।

मैं, शाम कुमार, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर अधिनियम) लखीमपुर– खीरी, एतत्द्वारा आप रामू, सुरेन्द्र, उत्तम को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः–

यह कि आपके द्वारा दिनांक–16–6–2007 से पूर्व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में उक्त गिरोह के सरगना अथवा सदस्य के रूप में आपके द्वारा हिंसा, धमकी अथवा हिंसा का प्रदर्शन कर और इसी प्रकार के अन्य अपराधों को सामाजिक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने के उद्देश्य से स्वंय अपने अथवा गिरोह के किसी सदस्य को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुंचाने के लिये भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 एवं 22 में वर्णित अपराध को समाज विरोधी क्रिया कलापो में संलिप्त रहे हैं। आप एवं आपके गिरोह द्व ारा किये गये अपराधिक कृत्य का विवरण –

मुकदमा अपराध सं0–202/2007, धारा–396,412भा0दं0सं0, थाना फरधान, मुकदमा अपराध सं0–215/2007, धारा–307,भा0दं0सं0, थाना फरधान, मुकदमा अपराध सं0–817/2007, धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट, थाना खीरी, मुकदमा अपराध सं0–305/2006, धारा–379भा0दं0सं0, थाना खीरी,मुकदमा अपराध सं0–117/2003, धारा–307भा0दं0सं0, थाना खीरी, जिला–खीरी ।

इस प्रकार उपरोक्त अपराधिक कृत्य कर आपके द्वारा धारा– 3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है ,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतत्द्वारा निर्देश देता हूं कि उक्त आरोप का विचारण न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनांकः 3–1–2018

(शाम कुमार)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश,/विशेष न्यायाधीश
(गैगेस्टर अधिनियम), लखीमपुर–खीरी।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप सुनकर अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

दिनांकः 3–1–2018

(शाम कुमार)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश,/विशेष न्यायाधीश
(गैगेस्टर अधिनियम), लखीमपुर–खीरी।